औद्योगिक विकास केन्द्र सिलतरा फेस–I में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु दुकान/आफिस/रेस्तरां आबंटन

क्रमांक रसीद **क्रमांक** **दिनांक**

Photo

आवेदन पत्र

1. आवेदक/आवेदिका/फर्म का नाम : ——————————————

2. पिता/पति का नाम : ——————————————

3. आयु : ——————————————

4. आवेदक का पत्र व्यवहार का स्थायी पता : ——————————————
——————————————
——————————————
——————————————

   अ) निवास का पूर्ण पता : ——————————————
   ——————————————

   ब) दूरभाष /मोबाईल नंबर : ——————————————

   स) व्यवसायिक पता : ——————————————
   ——————————————

   द) दूरभाष /मोबाईल नंबर : ——————————————

5. वर्तमान व्यवसाय : ——————————————

6. प्रस्तावित व्यवसाय (आवेदित स्थान हेतु) : ——————————————

7. पंजीयन राशि का विवरण : रुपये (अंकों में) ————————————
   रुपये (शब्दों में) ————————————
   डिमांड ड्राफ्ट/पे–आर्डर/बैकर्स चेक का विवरण
   क्रमांक—————— दिनांक ——————
   बैंक एवं शाखा का नाम ——————
   ——————————————

8. वांछित दुकान/आफिस/ए.टी.एम.कक्ष का विवरण : ——————————————

मैने निगम द्वारा निर्धारित नियम तथा शर्तें पढ़ एवं समझ लिया है तथा समय–समय पर संशोधित नियम तथा शर्तें भी मुझे मान्य होंगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

पूरा नाम : ——————————

नियम एवं शर्तें

(1) भवनों के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.आई.सी. परिसर, पंडरी, रायपुर से रू. 200/– नगद जमा कर प्राप्त कर सकेंगे ।

(2) आवेदन पत्र के साथ 10 प्रतिशत् पंजीयन राशि डी.डी. के माध्यम से जमा करना होगा।

(3) विज्ञापन में दर्शित अवधि में यदि आवेदकों की संख्या उपलब्ध दुकान/कार्यालय की संख्या से अधिक रही तो पंजीयन हेतु आवेदकों का चयन लाटरी पद्धति से किया जावेगा । लाटरी के पंजीयनकर्ता स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। जिन व्यक्तियों के नाम लाटरी में नहीं निकलता उनकी जमा पंजीयन राशि मूल रसीद प्रस्तुत करने पर बिना ब्याज के वापस की जावेंगी ।

(4) पंजीयन राशि भवन के मूल्य में समायोजित की जावेगी । पंजीयन स्वीकृत होने के बाद जमा राशि वापस चाहने पर मूल रसीद प्रस्तुत करने पर पंजीयन राशि का 10% (दस प्रतिशत्) कटौती की जाकर शेष राशि लौटायी जावेगी तथा कोई भी ब्याज जमा राशि पर देय नहीं होगा।

(5) पंजीयन के पश्चात् भवन क्रमांक का आबंटन लाटरी पद्धति से किया जावेगा । भवन रिक्त होने की स्थिति में रू. 500 अतिरिक्त शुल्क जमा कर भवन क्रमांक परिवर्तन किया जा सकता है । इस संबंध में अंतिम निर्णय निगम का होगा एवं कोई दावा मान्य नहीं होगा ।

(6) दुकान/कार्यालय 30 वर्षों की लीज पर आबंटित की जाएंगी । इसके पश्चात् लीज अवधि 30 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है ।

(7) कोयला/तंबाखू/शराब/चूना/मटन–मॉंस/पोल्ट्री के व्यवसाय के लिए आवेदन स्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(8) पंजीयन राशि तथा अन्य किश्ते राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/पे–आर्डर से प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी के नाम से रायपुर में देय एवं स्वीकार्य होगी ।

(9) भवन के पूर्ण होने पर आवेदित स्थान के अंतिम मूल्य का निर्धारण किया जाएगा । विज्ञापित मूल्य से अंतिम मूल्य के अंतर की अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) अंतिम किश्त में क्रेता द्वारा देय होगी ।

(10) प्रत्येक आबंटी को विद्युत कनेक्शन अपने व्यय पर लेना होगा ।

(11) आबंटितों को उन्हें आबंटित जगह में ही अपना व्यवसाय करना होगा । दुकानों के सामने कारीडोर पर स्थायी या अस्थायी अवरोध खड़ा करना वर्जित है ।

(12) आबंटित स्थान के अतिरिक्त किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन निगम की अनुमति के बिना वर्जित है, ऐसे निर्माण अवैध माने जाएंगे । दुकान की भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर कब्जा नहीं किया जाएगा ।

(13) आवेदक द्वारा दुकान/ऑफिस का उपयोग केवल वाणिज्यिक/व्यावसायिक कार्यो के लिए ही किया जाएगा । किसी भी प्रकार का अवैध व्यापार/व्यवसाय नहीं किया जाएगा ।

(14) निगम की लिखित अनुमति के बिना दुकान किसी अन्य को विक्रय अथवा सबलीज या अन्य प्रकार से हस्तांतरित की जा सकेगी । निगम ऐसी अनुमति देते समय शर्तें निर्धारित कर सकता है ।

(15) भवन का हस्तांतरण/नामांकन निगम के नियमानुसार होगा ।

(16) नगर पालिका/निगम/केंद्रीय शासन/ राज्य शासन द्वारा निर्धारित अन्य सभी कर नियमानुसार क्रेता द्वारा देय होगा ।

(17) आबंटन होने के पश्चात् 10 वर्षो का एकमुश्त लीज रेंट, भूमि संधारण शुल्क व अन्य प्रभार निगम के नियमानुसार अग्रिम देय होगा।

(18) विक्रय विलेख/पंजीयन व्यय क्रेता द्वारा वहन किया जाएगा । भवन का आधिपत्य विक्रय विलेख पंजीयन कराने के बाद ही दिया जाएगा ।

(19) आवेदन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा । अस्वीकृत आवेदकों की पंजीयन राशि उन्हें बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।

(20) अपरिहार्य कारणोंवश योजना को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में आवेदकों द्वारा जमा की गई पंजीयन राशि उन्हें बिना ब्याज के वापस की जाएगी ।

(21) किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, सीएसआईडीसी का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा ।

मैने नियम तथा शर्ते पढ़ एवं समझ लिया है तथा मुझे मान्य है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ——————————